समाहरणालय शेखपुरा

(जिला निर्वाचन शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 की तैयारी के दृष्टिगत शेखपुरा जिला में निम्नलिखित कार्यो क्रमशः
1. मतदान एवं मतगणना सामग्री इत्यादि
2. मतदान/नाम निर्देशन के लिए मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों, लिफाफे, पंजियों, लेखन सामग्री एवं प्रपत्रों का मुद्रण इत्यादि
3. कम्प्युटर सामग्री
4. भाड़े पर जेनरेटर एवं प्रकाशीय व्यवस्था हेतु उपस्कर
5. भाड़े पर टेन्ट/शामियाना/कुर्सी/टेबुल एवं ब्रेकेटिंग कार्य इत्यादि
6. भाड़े पर पर ध्वनि विस्तारक यंत्र
7. भाड़े पर कम्प्युटर सिस्टम/स्कैनर/प्रिंटर/रंगीन LCD टी.वी./फैक्स मशीन/सी.सी.टी.वी कैमरा/विडियोग्राफी/ स्टील कैमरा इत्यादि
8. भोजन, नास्ता हेतु तैयार भोज्य सामग्री का पैकेट्स (निर्धारित मीनू के अनुसार) तथा चाय/कॉफी इत्यादि एवं
9. वोटिंग कम्पार्टमेन्ट की विशिष्टयों (मानक) के लिये न्यूनतम दर निर्धारण हेतु अनुभवी एवं योग्य फर्मो से द्विलिफाफा पद्धति का अनुसरण करते हुये अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है। अनुभवी एवं योग्य फर्म जो अधोअंकित शर्तो को पुरा करते हो, सीलबंद लिफाफे में एक तकनीकी तथा दूसरी वित्तीय निविदा जिला निर्वाचन कार्यालय, शेखपुरा में दिनांक **31.07.2015 (शुक्रवार) को 03:00 बजे अपराह्न** तक आमंत्रित की जाती है। सभी कार्यो के लिये निविदादाता को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में ही दर देना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य हो जायेगा। प्राप्त सभी निविदायें **दिनांक 01.08.2015 (शनिवार) 12:00बजे अपराह्न** जिला क्रय समिति के समक्ष अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। क्रय समिति के समक्ष निविदादाता स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

विस्तृत जानकारी जिला का वेबसाईट **http:///sheikhpura.bih.nic.in** पर **देखा जा सकता है।**

(क) ***निविदा की सामान्य शर्तेः–***

1. कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली कागजात निविदा जमा करते समय संलग्न रहना चाहिये। बाद में कागजात जमा करने संबंधी किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
2. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफ में रहेगा। उक्त दोनो लिफाफा को एक अलग लिफाफा में मुहर बन्द करके प्रस्तुत किया जायेगा।
3. तकनीकी निविदा सर्वप्रथम खोला जायेगा। तकनीकी निविदा के शर्तो के अनुसार पात्रता रखने वाले फर्मो का वित्तीय निविदा से संबंधित लिफाफा खोला जायेगा।
4. सामग्रियों एवं मुद्रण हेतु कागज/रजिस्टर इत्यादि का नमूना निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. कोई फर्म एक से अधिक आईटमों के लिए निविदा दे सकते हैं।
6. आईटमवार निविदा अलग–अलग लिफाफें में देनी होगी तथा प्रत्येक आईटम के अलग–अलग अग्रधन की राशि से संबंधित बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

7. चयनित फर्मो द्वारा कार्यादेश के बाद कार्य नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभुति की राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. बगैर कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, संशोधन करने, कार्यहित एवं समय सीमा को देखते हुये न्युन्तम दर पर कार्य एक से अधिक फर्मो में बाँटने एवं समझौता का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा
9. पूर्व में प्राप्त कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तें:–

1. फर्म को वैट नम्बर तथा पैन नम्बर देना होगा। साथ ही, अद्यतन आयकर/वाणिज्यकर/सेवा कर जमा करने की विवरणी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

2. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का प्रमाण – पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
3. निविदा दाता को संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक से निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदा के साथ आईटम संख्या – 1 से 5 तक प्रतिभूति राशि के रूप में रू0 20,000/–(रू0 बीस हजार) अग्रधन, आईटम संख्या – 6 से 7 तक प्रतिभूति राशि के रूप में रू0 15,000/–(रू0 पन्द्रह हजार) अग्रधन, आईटम संख्या – 8 प्रतिभूति राशि के रूप में रू0 5,000/–(रू0 पाँच हजार) अग्रधन एवं आईटम संख्या – 9 प्रतिभूति राशि के रूप में रू0 10,000/–(रू0 बीस हजार) अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। प्रत्येक आईटम के लिए अलग–अलग अग्रधन राशि जमा करना होगा।
5. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र एनेक्सचर –1 एवं एनेक्सचर –2 में ही दिया गया निविदा मान्य होगा। एनेक्चर – 1 एवं एनेक्सचर – 2 जो किसी भी कार्य दिवस में जिला निर्वाचन कार्यालय में 200/– रूपये जमा करने पर प्राप्त की जा सकती है।
6. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के कार्यालय में निर्धाति तिथि तक सामग्री उपलब्ध कराना होगा इसके लिए किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
6. निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
7. निविदा दाता फर्म को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनका किसी राजनैतिक दल से संबद्धता नहीं है।

(ग) वित्तीय निविदा की शर्तें:–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म को ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती कर ली जायेगी।
3. उपरोक्त शर्त्तो के अलावे समय–समय पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तों/निर्देशो का अक्षरशः पालन करना होगा।
4. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने व्यय पर जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्धारित स्थल पर करना होगा।
5. सामग्रियों का दर सभी प्रकार के लागत एवं कर सहित अंकित करना होगा।

14/8/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह– जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा

D:\Election 2015\alpkalin nivida

ज्ञापांक 580 /निर्वा0, शेखपुरा, दिनांक 15 / 07 /2015

प्रतिलिपिः— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त निविदा की तीन हार्ड प्रति एवं एक सॉफ्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि इसे राज्य मे प्रचलित हिन्दी समाचार पत्रों एवं उर्दू समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः— अपर जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/जमुई/लखीसराय/बेगूसराय/खगड़िया/नालन्दा/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः— उप विकास आयुक्त, शेखपुरा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, शेखपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। इसे अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता, शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा/प्रबंधक, जिला उद्योग, शेखपुरा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, शेखपुरा/जिला कल्याण पदाधिकारी, शेखपुरा/उप निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला क्रय समिति के बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं उक्त निविदा सूचना को शेखपुरा जिला के वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/7/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
—सह— जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा

D:\Election 2015\alpkalin nivida